

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”  
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1950 की धारा 136)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

माण्डल

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम धुंवाला की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 385, 386 में सैदानाम भागचन्द पुत्र रामलाल एवं जगजित कौर नाम भागूलाल पुत्र रामलाल है। अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक:-

प्रार्थी  
भागूलाल  
(8003/86364)  
भागूलाल चम्पार

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम धुंवाला के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 385, 386 में प्रार्थी का नाम भागचन्द पुत्र रामलाल दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न आधारकांड व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम भागूलाल पुत्र रामलाल है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भागूलाल  
04.10.25  
भू0अ0नि0

पटवारी  
धुंवाला

रिपोर्ट तहसीलदार कांठार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1958 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत क राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी धुंवाला व भू0अ0नि0 माण्डल एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम धुंवाला की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 385, 386 में प्रार्थी का नाम भागचन्द के यजाय भागूलाल किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

04/10/25  
कांठार  
कांठार

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार कांठार ग्राम धुंवाला जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 खाता संख्या 385, 386 में दर्ज प्रार्थी का नाम भागचन्द के स्थान पर भागूलाल संशोधन व आदेश दिये जाते हैं।

2025/470  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा